मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल का त्रैमासिक न्यूज लेटर

जैवविविधता

अंक – 4 जुलाई–दिसम्बर 2020

संपादकीय

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन, जैवसंसाधनों का संवहनीय उपयोग तथा लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधानित है। इस क्रम में प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 (1) एवं मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरी निकाय) पर 23557 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जैवविविधता संरक्षण हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जाना है। जैवविविधता नियम, 2004 (केन्द्र) के नियम 22 (6) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम (23) (9) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी तैयार करना है। लोक जैवविविधता पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी सम्मिलित होती है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 एवं 18.03.2020 के पालन में मध्य प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर शत –प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 23 (12) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समिति को लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी संधारित (Maintained) की जायेगी और उसे विधिमान्य (Validated) किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा मैदानी स्तर के जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों के सहयोग से डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को निरंतर अपडेट किया जा रहा है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटना विनियम, 2014 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन की राशि बोर्ड एवं वन मण्डलो को प्रदान की जा रही है। लाभ प्रभाजन की राशि का उपयोग जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से मैदानी स्तर पर जैवविविधता संरक्षण के कार्यो हेतु किया जायेगा। इस उद्देश्य से जैवविविधता संरक्षण के कार्यो एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सहयोग अपेक्षित है।

आशा है कि कोविड–19 के परिस्थितियों में जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता सरंक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय समुदाय, स्थानीय निकायों, जैवविविधता प्रबंधन समितियो एवं जैवविविधता के सहयोगी विभागों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित।

(जसबीर सिंह चौहान)
सदस्य सचिव

1. मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग व वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ''मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज 2020'' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ कुंवर विजय शाह, माननीय वन मंत्री व श्री इंदर सिंह परमार, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2020 को किया गया।

कोविड–19 जनित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 का जिला स्तरीय आयोजन दिनांक 05 अक्टूबर 2020 (वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान) किया गया। प्रदेश के 52 जिलों के 4384 विद्यालयीन टीमो के 13,152 छात्र–छात्राओं ने लेवल – 1 में प्रतिभागिता की। क्विज़ में प्रत्येक जिले के प्रथम विजेता टीम को राशि रू. 3,000.00, द्वितीय विजेता टीम को राशि रू. 2100.00 एवं तृतीय विजेता टीम को राशि रू. 1500.00 का पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन दिनांक 24 अक्टूबर 2020 (International Day for Climate Change) को किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जिले की प्रथम विजेता टीम द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी व वनमण्डलाधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल से भाग लिया गया। प्रतियोगिता का संचालन क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी (जिला मुख्यालय) एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित 02 अधिकारियों की निगरानी में हुआ।

राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्यऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 के पुरस्कारो का विवरण

क्र.	प्रतियोगिता में स्थान	विजेता टीम/विद्यालय	टीम में सम्मिलित विद्यार्थियों का नाम	पुरस्कार सामग्री
1.	प्रथम	शास. उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी	1. विदित तिवारी 2. नंदनी सिंह चौहान 3. तानिया बानो	रु. 30,000/– व 03 टेबलेट
2.	द्वितीय	द शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर	1. शान चड्ढ़ा 2. श्रेया सिन्हा 3. ईशान महेश्वरी	रु. 21,000/– व 03 मोबाईल
3.	तृतीय	दिल्ली पब्लिक स्कूल, विंध्यनगर, सिंगरौली	1. प्रभांशु मिश्रा 2. अवधेश महापात्रा 3. आयुष्मान सिंह	रु. 15,000/– व 03 डिजिटल वॉच

मध्यप्रदेश राज्य आनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 का जिला स्तरीय आयोजन

विजेता टीमों को नगद पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ. इंडिया द्वारा प्रदाय किया गया। प्रतियोतगता की विजेता टीमों के अतिरिक्त शेष समस्त 49 प्रतिभागी टीमों के 147 विद्यार्थियों को डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया द्वारा पेनड्राइव प्रदान की गई।

राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 के आयोजन में वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, विश्व प्रकृति निधि, इंडिया एवं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण,चेन्नई द्वारा साझेदार के रुप में तकनीकी सहयोग तथा DIGIMIND Technology Services Pvt. Ltd., Bhopal द्वारा क्विज पार्टल एवं वेबसाईट के निर्माण एवं संचालन में सहयोग प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला क्विज़ मास्टर, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा सराहनीय सहयोग प्रदान किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 का राज्य स्तरीय आयोजन

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता टीम – शास. उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी म.प्र.

2. राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह–2020

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल द्वारा वन विहार के प्रांगण में दिनांक 01–07 अक्टूबर 2020 को (''राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2020'') वन्यप्राणी संरक्षण–संवर्धन के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्टॉल स्थापित किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के स्टॉल पर हजारो की संख्या में स्कूली छात्र–छात्राओं एवं आमजनों द्वारा भाग लिया गया।

राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2020 में बोर्ड द्वारा स्थापित स्टॉल

विजेता टीमों को नगद पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ. इंडिया द्वारा प्रदाय किया गया। प्रतियोतगता की विजेता टीमों के अतिरिक्त शेष समस्त 49 प्रतिभागी टीमों के 147 विद्यार्थियों को डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया द्वारा पेनड्राइव प्रदान की गई।

राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 के आयोजन में वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, विश्व प्रकृति निधि, इंडिया एवं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण,चेन्नई द्वारा साझेदार के रुप में तकनीकी सहयोग तथा DIGIMIND Technology Services Pvt. Ltd., Bhopal द्वारा क्विज पार्टल एवं वेबसाईट के निर्माण एवं संचालन में सहयोग प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला क्विज़ मास्टर, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा सराहनीय सहयोग प्रदान किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य ऑनलाईन जैवविविधता क्विज़–2020 का राज्य स्तरीय आयोजन

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता टीम – शास. उत्कृष्ट विद्यालय, सीधी म.प्र.

2. राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह–2020

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल द्वारा वन विहार के प्रांगण में दिनांक 01–07 अक्टूबर 2020 को (''राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2020'') वन्यप्राणी संरक्षण–संवर्धन के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्टॉल स्थापित किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के स्टॉल पर हजारो की संख्या में स्कूली छात्र–छात्राओं एवं आमजनों द्वारा भाग लिया गया।

राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2020 में बोर्ड द्वारा स्थापित स्टॉल

3. लोक जैवविविधता पंजी निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वेबिनार

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापक/प्राध्यापको (पी.आई एवं को–पी.आई) द्वारा संपादित किया रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पी.आई (Project Investigator) एवं को–पी.आई (Co-Project Investigator) को विषय विशेषज्ञों द्वारा में भोपाल में निम्नानुसार ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

प्रशिक्षण क्रमांक	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पी.आई तथा को–पी.आई की संख्या	प्रशिक्षण में सम्मिलित जनपद पंचायत (जिला) की संख्या
1	05 एवं 6 नवम्बर 11.2020	20	10 जनपद (08 जिले)
2	15 एवं 16 दिसम्बर 2020	22	11 जनपद (08 जिले)
	कुल	**42**	**21 जनपद (16 जिले)**

राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना–2020 की पुरस्कार चयन समिति की बैठक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई वेबिनार – दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा Virtual Platform के माध्यम से आयोजित वेबीनार "People's Biodiversity Registers" में बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

शोध एवं दस्तावेजीकरण

1. मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–2030

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा संकलित मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–2030 (Madhya Pradesh State Biodivesity Strategy & Action Plan 2018-2030) पुस्तिका का विमोचन दिनांक 31.08.2020 को मान. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा किया गया।

मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–2030 पुस्तिका

2. डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण

मान. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 में लिये गये निर्णय के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17 वी बोर्ड बैठक (दिनांक 02.06.2020) के निर्णय के अनुसार प्रदेश में समस्त स्थानीय निकायों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) 23179 एवं नगरीय एवं आवास विभाग द्वारा 378 प्रदेश में समस्त निकाय स्तर पर शत–प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी का कुल 23557 निर्माण किया गया है।

प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा सेकंडरी डाटा के आधार पर डिजिटल एंव डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को पंजी निर्माण कार्य में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। भोपाल मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर स्थित जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों द्वारा डिजिटल एंव डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति को सेकंडरी डाटा उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही पंजी के प्रपत्रों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार तथा म.प्र.शासन के विभागों की वेबसाईट व अन्य स्त्रोतों से सेकंडरी डाटा प्राप्त किया गया है। बोर्ड स्तर पर गठित (तकनीकी स्क्रीनिंग) समिति द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर डिजिटल एंव डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रगति एवं प्रक्रिया की समीक्षा की गई। जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्यो की सतत् समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में People's Biodivesity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

समिति द्वारा प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति गठन कार्य तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का अनुमोदन प्रदान किया गया है। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु स्थानीय निकाय स्तर के जैवविविधता आधारित डिजिटल मैप का उपयोग किया गया है इस हेतु वन विभाग की आई.टी.शाखा द्वारा बोर्ड को सहयोग प्रदान किया गया है। इस संबंध में श्री संजय शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी. वन विभाग के साथ दिनांक 08.07.2020 को आयोजित बैठक में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण उपयोग किये जा रहे डिजिटल मानचित्र की समीक्षा की गई।

3. जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा लोक शिक्षण विभाग अन्तर्गत विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग अन्तर्गत महाविद्यालयों के सहयोग से प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (जनपद पंचायत) पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य प्रारंभ् किया गया है। जिसमें अद्यतन स्थिति तक 115 जनपद पंचायतों में विद्यालय एवं महाविद्यालयों को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है।

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य में डिजिटल मानचित्र के उपयोग हेतु समीक्षा बैठक

4. जैवविविधता आधारित परियोजना

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियों में अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण एक प्रमुख गतिविधि है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन/दस्तावेजीकरण कार्य उपयुक्त संस्थानों/गैर शासकीय संगठनों/विशेषज्ञों से कराया जाता है। बोर्ड में प्राप्त निम्नलिखित परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया गयाः–

S. No.	Title of Project	Executing Agency	Project Cost (Rs. in Lakh)
1	Threat assessment of traded forest flora of Madhya Pradesh.	National Botanical Research Institute, Lucknow	39.60
2	A study to identify local communities view on the mitigation on human wildlife conflict in the wildlife sancturies of Madhya Pradesh.	Indian Institute of Forest Management, Bhopal (IIFM)	12.54
3	Diversity of scorpions (Arachnida: Scorpiondia) in Madhya Pradesh with studies on ecology, biology and associated traditional knowledge about medically important species.	Zoological Survey of India, Jabalpur (ZSI)	12.66

ग्रीन इंडिया मिशन

ग्रीन इण्डिया मिशन का मुख्य उद्देश्य वनावरण तैयार किया जाना, वनों को सुधारना एवं वनों पर आधारित परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के अन्तर्गत संवहनीय विकास के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों एवं जैविक संसाधनों का संरक्षण व संवर्धन किया जाना है। मध्यप्रदेश राज्य में कुल निम्नानुसार 18 वन मण्डलों (सतना, दक्षिण बालाघाट, पश्चिम बैतूल, धार, झाबुआ, बडवानी, सेंधवा, दक्षिण पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया, होशंगाबाद, दक्षिण सिवनी, उत्तर बैतूल, रायसेन, औबेदुल्ललागंज, सीहोर, दक्षिण सागर) का चयन इस कार्य के संपादन हेतु ग्रीन इण्डिया मिशन के अंतर्गत किया गया है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा इको सिस्टम सेवाओं एवं स्थानीय समुदायों की आजीविका के परिप्रेक्ष्य में वनों का सुधार एवं पुनरूद्धार तथा वन आश्रित स्थानीय समुदाय हेतु वैकल्पिक एवं वन आधारित आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक निम्नलिखित घटकों के क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है।

1. Quality of Forest cover and ecosystem services of forest/non forests is improved in-a-Moderately dense and b-Open Forest
2. Training and Protocol development for biodiversity measurement for preparing biodiversity management plan.
3. Support for strengthening BMCs cum JFMCs Biodiversity Management as per National Biodiversity Act.

परियोजना अंतर्गत जैवविविधता के आंकलन एवं जैवविविधता प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु Indian Institute of Science Education and Research (IISER) कोलकाता का सहयोग लिया जा रहा है। ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन/पुनर्गठन सक्रियकरण तथा लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण कार्य हेतु वनमण्डलों होशंगाबाद, दक्षिण सागर, दक्षिण पन्ना, सीहोर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, रायसेन, औबेदुल्लागंज में डॉ. कुनिका सिलोदिया, श्री विजेश हरियाले, श्री शुभम पंकज, डॉ. गौरव सिंह, श्री प्रखर गुप्ता तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु दिनांक 21.12.2020 से 24.12.2020 को क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर बैठक आयोजित की गई।

राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना–2020

जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं जल संसाधन) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। इस वर्ष मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में जैवविविधता पुरस्कार प्रदान किये गये–

क्र.	श्रेणी	पुरस्कार	पुरस्कार राशि		विजेता का नाम
01	जैवविविधता प्रबंधन समिति (अ) ग्राम पंचायत	द्वितीय	2.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	जैवविविधता प्रबंधन समिति, माल्हन, कटनी
		तृतीय	1.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	जैवविविधता प्रबंधन समिति, भनपुरा, कटनी
02	संस्थागत (अशासकीय)	द्वितीय	2.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	कटनी पर्यावरण विकास संधारण समिति, कटनी
03	व्यक्तिगत (अशासकीय)	प्रथम	3.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्री अविनाश दांगी, खरगोन
		द्वितीय	2.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्री जुझार सिंह परमार, शाजापुर
04	पहुंच एवं लाभ प्रभाजन के अधिकतम अनुबंध– (अ) श्रेष्ठ वनमंडल	प्रथम	–	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्योपुर वनमंडल
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	शिवपुरी वनमंडल
	(ब) श्रेष्ठ वन वृत्त	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	ग्वालियर वन वृत्त
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	शिवपुरी वन वृत्त
	पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की अधिकतम राशि– (अ) श्रेष्ठ वनमंडल	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	शिवपुरी वनमंडल
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	नीमच वनमंडल
	(ब) श्रेष्ठ वनवृत्त	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	शिवपुरी वन वृत्त
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	ग्वालियर वन वृत्त

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा दिनांक 30.07.2020, 31.08.2020, 21.09.2020 एवं 29.10.2020 को ऑनलाईन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन एवं सक्रियकरण तथा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रगति की निम्नानुसार जानकारी प्रदान की गई।

S. No.	Local Body	Level	Total no of local body	No of BMCs Constituted/ digital and dynamic PBR prepared
1	**Panchayat**	Zila Panchayat	52	52
		Block/Janpad Panchayat	313	313
		Gram Panchayat	22814	22814
		Total	**23179**	**23179**
2	**Nagar Nikay**	Nagar Nigam	16	16
		Nagar Palika	98	98
		Nagar Parishad	264	264
		Total	**378**	**378**
		Grand Total	**23557**	**23557**

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई राष्ट्रीय बैठक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा Virtual Platform के माध्यम से दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2020 को “15th National Meeting of State Biodiversity Boards (SBBs)” का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्य सचिव द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण हेतु किये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं विनियम, 2014 तथा नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने वाले समस्त विदेशी व्यापारी व निर्माताओं को अधिनियम की धारा–3 तथा भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को धारा 7 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) तथा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है। अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई –

म0प्र0 राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम–17 के उपनियम–(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र कमांक 331 दिनांक 29.07.2019 तथा म0प्र0 शासन, वन विभाग की अधिसूचना कमांक–आर–1637–449– 2019–दस–2 दिनांक 29.07.2019 द्वारा समस्त क्षेत्र संचालक/उपसंचालक, टाईगर रिजर्व एवं क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/प्रभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड प्राधिकृत किया गया है, जिससे लाभ प्रभाजन की कार्यवाही को गति प्रदान की जा सके।

इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति) में क्षेत्रीय वन इकाईयों में जैवसंसाधनों के व्यापारियों से 297 अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये।

1. **वार्षिक अंक मिलान एवं प्रशिक्षणः–** म.प्र. में 63 वन मण्डल क्षेत्रीय वनमण्डल, 06 टाईगर रिजर्व एवं 11 म.प्र. वन विकास निगम की इकाईयों में विगत 03 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) में जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैवसंसाधनों के व्यापारियों से प्राप्त आवेदन फीस एवं एबीएस राशि का वार्षिक अंक मिलान किया गया एवं जैवविविधता प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वन मण्डल उत्तर बैतूल, होशंगाबाद, कटनी, सेंधवा, सिंगरौली, दक्षिण सागर एवं उमरिया में एबीएस की प्रगति बेहतर रही।

2. जैव संसाधनों का व्यापारिक तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के नियम–3 अनुसार जैव संसाधनों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष 2020–21 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में व्यापारियों/विनिर्माताओं से निम्नानुसार लाभ प्रभाजन राशि की प्राप्ति हुई है –

व्यापारी		**विनिर्माता**	
कुल एबीएस अनुबंध	कुल एकत्रित एबीएस राशि	कुल एबीएस अनुबंध	कुल एकत्रित एबीएस राशि
297	61,92,681.00	17	6,77,153.00

3. **जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–56 के अंतर्गत कार्यवाही**:– जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–56 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या जैवविविधता बोर्ड कें आदेशों/निर्देशों का उलंघन करता है तो 1 लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उक्त धारा का उपयोग करते हुए प्रदेश में 04 प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही कर राशि रू. 2,75,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

4. क्षेत्रीय वन ईकाईयों में गठित जैवविविधता प्रकोष्ठ की क्षमता वृद्धि हेतु ''जैवविविधता अधिनियम, सरल मार्गदर्शिका एवं लाभ प्रभाजन : मध्यप्रदेश मॉडल, प्रदेश के व्यापारात्मक जैव संसाधनों की क्षमता व अनुमान'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

जनपद पंचायत स्तरीय जैवविविधता प्रबंधन समितियों की बैठक

प्रदेश में जनपद पंचायत स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य विद्यालय एवं महाविद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है। इस क्रम में पंजी का प्रथम प्रारूप की समीक्षा हेतु जनपद पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समिति जनपद पंचायत बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की प्रथम बैठक का आयोजन जनपद पंचायत समिति की प्रथम बैठक का आयोजन जनपद पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ.पी. मुकाती की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में पी.आई. श्री राज राठी, प्राध्यापक, शासकीय पी.जी कॉलेज एवं को–पीआई डॉ. रवि उपाध्याय उपस्थित रहे। बैठक में जैवविविधता प्रबंधन समिति के सभी सदस्य एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बोर्ड द्वारा राजीय तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. कुनिका सिलोदिया जिला समन्वयक के रूप में बैठक में उपस्थित रहीं।

कार्यालय जनपद पंचायत बाबई में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 09/11/2020 को संपन्न की गई। बैठक जनपद पंचायत बाबई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्रीमति पूनम दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जैवविविधता प्रबंधन समिति जनपद पंचायत बाबई, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद के जनपद पंचायत कार्यालय में जैवविविधता प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 18/11/2020 को जनपद पंचायत कार्यालय में किया गया। बैठक का संचालन पिपरिया जनपद के पीआई श्री सुनील एवं डॉ. रवि उपाध्याय, प्राध्यापक, शासकीय पी.जी. कॉलेज पिपरिया द्वारा किया गया। बीएमसी के अध्यक्ष श्री एम.एल. नायक एवं अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

जैवविविधता प्रबंधन समिति जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

जनपद पंचायत स्तरीय जैवविविधता प्रंबधन समितियों की बैठक

जिला होशंगाबाद के सोहागपुर जनपद में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 20.11.2020 को किया गया। बैठक में श्री राम सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद सोगहागपुर ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। इनके साथ ही पशुपालन विभाग से श्री संजीव मालवीय, वन विभाग प्रतिनिधि श्रीमती दक्षणा शर्मा, जनपद अध्यक्ष महोदया श्रीमती मंजुअहिरवार, जनपद उपाध्यक्ष श्री भरत सिंह पटेल, श्री स. एस. ठाकुर, कृषि विभाग के प्रतिनिधि श्री आर. के. शर्मा, जनपद स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती रेखा गौर सम्मिलित हुए। बैठक सदस्यों द्वार सोहागपुर जनपद की दुर्लभ स्थानीय प्रजातियों पर चर्चा की गई। जैवसंसाधनों का महत्तव एवं उनके संरक्षण हेतु लोक जैवविविधता पंजी क निर्माण प्रक्रिया जनपद पी.आई. एवं को.पी.आई सदस्यों को बतलाई गई। सोहागपुर जनपद में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ जनमी, कमल, मिलाये, अमरबेल? मछलियों में झमर इत्यादि है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनजागृति की आवश्यकता की बात कहते हुए पीबीआर निर्माण में सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।

जैवविविधता प्रबंधन समिति बैठक जनपद पंचायत इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक जनपद पंचायत कार्यालय में दिनांक 26.11.2020 को किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री जी. एस. प्रजापति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इंदौर द्वारा की गई।

जैवविविधता प्रबंधन समिति बैठक जनपद पंचायत, सोहागपुर एवं इन्दौर म.प्र.

जनपद पंचायत जिला होशंगाबाद में प्रथम जैविविधता प्रबंधन समिति दिनांक 22/12/2020 को जनपद पंचायत होशंगाबाद में प्रथम जैवविविधता प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता श्रीमति वंदना शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत होशंगाबाद द्वारा निभाई गई।

जनपद पंचायत केसला, जिला होशंगाबाद में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण से संबंधित प्रथम जैवविविधता प्रबंधन समिति का आयोजन दिनांक 23/12/2020 को जनपद पंचायत कार्यालय, केसला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रीमति वंदना कैथल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद केसला द्वारा की गई बैठक में जैवविविधता प्रबंधन समिति के सभी सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

समाचार पत्रों से........

बुक पोस्ट

प्रति,

....

....

....

प्रेषक –

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
प्रथम तल, किसान भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)
फोन : 0755–2554549, 2554539, 2764911
ई–मेल : mpsbb@mp.gov.in
वेबसाईट : www.mpsbb.nic.in

संरक्षक	संपादक मण्डल		
जसबीर सिंह चौहान सदस्य सचिव	डॉ. बकुल लाड सहायक सदस्य सचिव (सी. एण्ड. डी)	डॉ. एलिजाबेथ थॉमस सहायक सदस्य सचिव (बायो)	शिवप्रताप सिंह बघेल सहायक सदस्य सचिव (प्रशा./वित्त)